बिहार सरकार
निर्वाचन विभाग
मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, बिहार का कार्यालय
7, सरदार पटेल मार्ग (मैंगल्स रोड), पटना–800015.

फोन नं0 :– 0612–2217352
फैक्स नं0 :– 0612–2215611
ई–मेल :–ceo_bihar@eci.gov.in

प्रेस विज्ञप्ति

दिनांकः–14 अक्टूबर, 2025

बिहार में आगामी विधानसभा आम निर्वाचन के मद्देनज़र मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, बिहार द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रथम चरण से संबंधित जिलों की निर्वाचन तैयारियों की विस्तृत समीक्षा की गई तथा आवश्यक दिशा–निर्देश जारी किए गए।

मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा समीक्षा बैठक में दिए गए प्रमुख निर्देश :

बिहार विधानसभा आम निर्वाचन, 2025 में भारत निर्वाचन आयोग के निदेशानुसार सभी 100 प्रतिशत मतदान केंद्रों पर वेब कास्टिंग कराई जानी है। इस संबंध में तैयारी की भी समीक्षा की गई। सभी जिला निर्वाचन पदाधिकारियों को निर्देशित किया गया कि वेब कास्टिंग टीम के साथ–साथ संबंधित बूथों के BLO, विद्यालय के संपर्क सूत्र (जैसे शिक्षक) तथा सेक्टर पदाधिकारी के मोबाइल नंबर को एक बिंदु संचार योजना (One Point Communication Plan) के रूप में संकलित रखा जाए, ताकि बेहतर समन्वय स्थापित किया जा सके।

Close of Poll के समय सभी उपस्थित पोलिंग एजेंटों को Form 17C उपलब्ध कराया जाना आवश्यक है। इसके लिए पर्याप्त संख्या में प्रतियां तैयार कर सुनिश्चित किया जाए ताकि प्रत्येक मतदान केंद्र पर Form 17C सभी संबंधित एजेंटों को उपलब्ध हो।

सभी जिला निर्वाचन पदाधिकारियों को निर्देश दिया गया कि मतदाता पर्ची (Voter Information Slip) का वितरण सुनिश्चित किया जाए। मतदान की तिथि से कम–से–कम पाँच दिन पूर्व सभी उपस्थित मतदाताओं तक यह पर्ची पहुँच जानी चाहिए। साथ ही, वैसे अनुपलब्ध निर्वाचक जिन तक मतदाता पर्ची नहीं पहुँच पाई हो, उनकी ASD (Absentee, Shifted, Dead) सूची भी तैयार की जाए।

Form 12D (Home Voting) तथा पोस्टल बैलेट से संबंधित अन्य तैयारियों की भी समीक्षा की गई। सभी आवश्यक तैयारियाँ समय पर पूर्ण करने के लिए निर्देश दिए गए।

बैलेट पेपर के संबंध में मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने बताया कि इस बार भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार कैंडिडेट्स के कलर फोटो EVM बैलेट पेपर पर मुद्रित की जाएंगी।

मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने निर्देशित किया कि सभी पोलिंग स्टेशनों पर साइनेज कार्य को शत–प्रतिशत पूर्ण कर लिया जाए।

भेद्यता मानचित्रण के संबंध में निर्देश दिया गया कि डीएम एवं एसपी संयुक्त रूप से इसकी समीक्षा करें। साथ ही, सभी विधानसभा क्षेत्रों में सेक्टर अधिकारियों की ब्रीफिंग भी डीएम एवं एसपी द्वारा संयुक्त रूप से कराया जाना अपेक्षित है।

बैठक में मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि युक्तिकरण (Rationalization) के उपरांत नए या स्थानांतरित मतदान केंद्रों के बारे में स्थानीय स्तर पर व्यापक प्रचार–प्रसार किया जाए।

मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने कहा कि सभी सहायक निर्वाचन व्यय प्रेक्षकों का प्रशिक्षण सुनिश्चित करा लिया जाना है। इसके साथ ही निदेशित किया गया कि Expenditure Sensitive Constituencies को निर्वाचन व्यय प्रेक्षकों की उपस्थिति में चिन्हित किया जाए एवं स्थानीय स्तर पर सभी प्रवर्तन एजेंसियों (Enforcement Agencies) की समन्वय बैठक आयोजित कराई जाये ताकि व्यय निगरानी से जुड़ी सभी गतिविधियों में बेहतर तालमेल सुनिश्चित हो सके। उन्होंने यह भी निर्देश दिया कि Register of Candidates एवं उससे संबंधित सभी अभिलेखों के रख–रखाव हेतु प्रशिक्षण आयोजित कर लिया जाए, जिससे अभ्यर्थियों के व्यय लेखांकन एवं जांच की प्रक्रिया पारदर्शी ढंग से की जा सके।

मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने सोशल मीडिया पर भ्रामक सूचनाएँ या अफवाहें फैलाने वाले इन्फ्लुएंसरों अथवा अन्य तत्वों को चिन्हित कर उन पर आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए, ताकि इस प्रकार की घटनाओं पर प्रभावी नियंत्रण रखा जा सके।

शराब की जब्ती के संदर्भ में मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने निर्देश दिया कि आगामी 30 अक्टूबर को सभी सीमावर्ती राज्यों के डीजीपी, Excise Commissioner एवं Prohibition Department की बैठक आयोजित की जाएगी। उन्होंने कहा कि जिन जिलों में शराब की जब्ती की जा रही है और वह शराब यदि किसी अन्य राज्य से लाई गई है, उसकी विस्तृत रिपोर्ट मुख्यालय को भेजी जाए, ताकि संबंधित राज्य को इस कार्यालय से सूचना भेजी जा सके।

परिवहन योजना के संदर्भ में निर्देश दिया गया कि प्रत्येक जिला विस्तृत परिवहन योजना तैयार करे, जिसमें वाहन की संख्या, रूट मैप, एप्रोच रोड, एवं मल्टी–मॉडल ट्रांसपोर्ट की जानकारी सम्मिलित हो। यदि किसी मतदान केंद्र तक पहुँचने के लिए नाव की आवश्यकता हो, तो संबंधित Motor Vehicle Inspector (MVI) के माध्यम से उन नावों का आवश्यक पंजीकरण कर लिया जाए। इसके साथ ही मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा निदेशित किया कि निर्वाचन हेतु अधिग्रहण करने वाले सभी वाहनों में जीपीएस सुविधा अधिष्ठाापित होना सुनिश्चित कर लिया जाए।

****